



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3719]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 19, 2019/कार्तिक 28, 1941

No. 3719]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 19, 2019/KARTIKA 28, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2019

का.आ. 4142(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः:-

उक्त अनुसूची में, क्रम सं. 115 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

तालिका

क्र. सं.	नई रारा सं.	पुरानी रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
115	34	119	उत्तराखंड राज्य में गंगोत्री धाम से प्रारंभ होकर भटवारी, उत्तरकाशी, धरासू, नीर तेरही, अमपाटा, ऋषिकेश और हरिद्वार, उत्तर प्रदेश राज्य में नजीबाबाद, बिजनौर, मेरठ (पुरानी रारा सं. 119 के किमी 0.00 से किमी 11.500 तक को छोड़कर), हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, इटावा, कन्नौज, कानपुर, हमीरपुर, महोबा, मध्य प्रदेश राज्य में छतरपुर, हीरापुर, दमोह, जबलपुर को जोड़ते हुए और लखनादोन के निकट रारा-44 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा. सं. एनएच-14012/3/2019-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और तत्संबंधी अनुसूची, भारत के राजपत्र में का.नि.आ. 1180 दिनांकित 4 अप्रैल, 1957 के तहत प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 4039(अ), दिनांकित 8 नवंबर, 2019 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2019

S.O. 4142(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) vide number S.O. 689(E) dated the 4th April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial numbers 115 and entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

TABLE

Serial No.	New National Highway No.	Old National Highways No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)	(4)
115	34	119	The highway starting from Gangotri Dham connecting Bhatwari, Uttarkashi, Dharasu, Near Terhi, Ampata, Rishikesh and Haridwar in the State of Uttarakhand, Najibabad, Bijnore, Meerut (excluding from km. 0.00 to km. 11.500 of old NH No. 119), Hapur, Bulandshahr, Aligarh, Etah, Kannauj, Kanpur, Hamirpur, Mahoba in the State of Uttar Pradesh, Chattarpur, Hirapur, Damoh, Jabalpur and terminating at its junction with NH-44 near Lakhnadon in the State of Madhya Pradesh.

[F. No. NH-14012/3/2019-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Footnote : The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification No. S.O. 4039(E) dated 8th November, 2019.